राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2683/2024

सुनील कुमार सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, धौलपुर।
4. श्री पुनीत कुमार दीक्षित, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसील सरमथुरा, जिला धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.08.2024

आदेश की दिनांक : 30.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धीरज गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तहसील कार्यालय सरमथुरा, धौलपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का कार्मिक है, अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी और वरिष्ठता

अनुसार अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियमानुसार पदोन्नत किया गया। उनका तर्क है कि वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.03.2017 की रिक्ति के विरूद्ध एससी पद उपलब्ध होने पर लिपिक ग्रेड–प्रथम के पद पर पदोन्नत किया गया। जबकि अपीलार्थी अपने कनिष्ठों के समान वर्ष 2014–15 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी था। इसी प्रकार आगामी पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भी पदोन्नति से वंचित किया गया, जिससे आगामी पद पर पदोन्नति प्राप्त नहीं हो सकी और उससे कनिष्ठ कार्मिक निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 पुनीत कुमार दीक्षित को वर्ष 2021–22 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नत किया गया। जबकि अपीलार्थी को वर्ष 2022–23 के विरूद्ध सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया स्पष्टीकरण दिनांक 15.05.2017 जिसमें यह स्पष्ट किया है कि *''यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी अपनी स्वयं की वरिष्ठता अर्थात् सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर बिना आरक्षण का लाभ लिये वरिष्ठ होता है और उससे कनिष्ठ आरक्षित वर्ग का राज सेवक पदोन्त हो जाता है तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यांश यथा 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत से अथवा रोस्टर बिंदु से पद भरा होने पर भी पदोन्नति से वंचित नहीं किया जायेगा। अपितु आधिक्य व निर्धारित अभ्यांश भविष्य में समायोजित किया जायेगा।''* माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2325/2013 सोहन लाल शर्मा व अन्य बनाम राजस्व बोर्ड, अजमेर में भी ऐसा ही सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अपीलार्थी अपनी स्वयं की वरिष्ठता में यदि वरिष्ठ है तो उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिये और उसे भविष्य में समायोजित कर दिया जायेगा। परंतु विभाग द्वारा विरोधाभासी रवैया अपनाते हुये वर्ष 2023–24 की अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित डीपीसी की बैठक दिनांक 29.02.2024 में श्री मोहर सिंह के एससी श्रेणी का होने के बावजूद मूल वरिष्ठता में वरिष्ठ होने के कारण सामान्य श्रेणी के पद के विरूद्ध दिनांक 01.04.2023 से पदोन्नत किये जाने की अभिशंषा की गई और आदेश दिनांक 29.02.2024 के द्वारा श्री आनंद सिंह एवं मोहर सिंह को सामान्य पद के विरूद्ध अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में दिनांक 24.05.2024 को विभाग के समक्ष

अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा दिनांक 04.07.2024 के द्वारा निस्तारित करते हुये सक्षम स्तर पर अपील हेतु लिखा गया। विभाग द्वारा दिनांक 08.06.2024 को सहायक प्रशासनिक अधिकारी की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 15 पर और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 7 पर एवं अन्य मूल रूप से कनिष्ठों के नाम क्रम संख्या 7 के उपरांत हैं। यदि विभाग द्वारा उक्त वरिष्ठता के आधार पर आगामी पद अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद की पदोन्नति की जाती है तो अपीलार्थी पुनः वर्ष 2024–25 की पदोन्नति से वंचित हो जायेगा। जबकि नियमानुसार अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी से पूर्व मूल वरियता के आधार पर पदोन्नत होने का अधिकारी तथा वरिष्ठता में उनसे ऊपर अपना नाम जुडवाने का एवं उसके आधार पर पदोन्नति पाने का हकदार है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.06.2024 जिसके द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है, को संशोधित करते हुये अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 15 के स्थान पर अपने कनिष्ठ निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से पूर्व 7 पर जोडा जाये तद्नुसार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद की वर्ष 2024–25 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का

अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुये अभ्यावेदन का निस्तारण कर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित किया जावे, जिसकी सूचना अपीलार्थी को दी जावे और तब तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2024–25 के विरूद्ध अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिये डीपीसी आयोजित नहीं की जावे।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य